



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-16092026-276267
CG-TL-E-16092026-276267

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4869]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 12, 2026/भाद्र 21, 1948

No. 4869]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 12, 2026/BHADRA 21, 1948

रेल मंत्रालय
(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 11 सितम्बर, 2026

का.आ. 5059(अ).— केंद्रीय सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (7ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन के तारीख से, नीचे सारणी के स्तम्भ (2) में यथा उल्लिखित विशेष रेल परियोजना के लिए उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लिखित राज्य में निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और परिचालन हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए सारणी स्तम्भ (6) में उल्लिखित अधिकारी को प्राधिकृत करती है।

सारणी

क्र.सं.	विशेष रेल परियोजना	राज्य	जिला	मंडल	सक्षम प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	इंदुपल्ली-दुगिराला स्टेशनों के बीच (36.80कि.मी.) दोहरी लाइन सहित बल्हारशाह - काजीपेट-विजयवाड़ा-गूडूरु स्टेशनों के बीच (744.80 कि.मी.) 4 ^{थी} लाइन	तेलंगाना	पेद्दपल्ली	रामगुंडम	राजस्व मंडल अधिकारी, पेद्दपल्ली.
				अंतेरगांव	
				पेद्दपल्ली	
				ओदेला	
				पालकुर्ती	

[फा. सं. W.Con.182/SRP-30/KZJ-BPQ 4th LINE/25-26/7A]

मोतीलाल भूक्या, मुख्य इंजीनियर/निर्माण -II

MINISTRY OF RAILWAYS

(South Central Railway)

NOTIFICATION

Secunderabad, the 11th September, 2026

S.O. 5059(E).— In exercise of the powers conferred by Clause (7A) of Section 2 of the Railways Act, 1989, the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in the Column(6) of the Table below to perform the functions of the Competent Authority in respect of the Special Railway Project as mentioned in Column (2) of the Table, for execution, maintenance, management and operation in the State mentioned in Column (3) of the said table with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Table

Sl.No	Special Railway Project	State	District	Mandal	Competent authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	4th Line between Balharshah – Kazipet – Vijayawada – Guduru stations (744.80 Km) including double line between Indupalli – Duggirala stations (36.80 Km).	Telangana	Peddapalli	Ramagundam	Revenue Divisional Officer, Peddapalli.
				Antergaon	
				Peddapalli	
				Odela	
				Palakurthi	

[F. No. W.Con.182/SRP-30/KZJ-BPQ 4th LINE/25-26/7A]

MOTHILAL BHOOKYA, Chief Engineer/Con-II